बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–146/2023–......... /पटना–15, दिनांक–..............................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–1034(6), दिनांक–04.07.2023 के माध्यम से शांतिदूत ट्रस्ट, 201 आर0 इन्कलेभ, रोड न0–3/331, न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना–800013 द्वारा प्रस्तावित डी0पी0 सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, गौतमनगर, शाहपुर, रहुई, नालन्दा अंतर्गत ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, सुविधाओं एवं संसाधनों की भारतीय उपचर्या परिषद एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप जाँच हेतु डॉ0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

2–विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉ0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–200/अ0नि0को0, दिनांक–09.08.2023 के माध्यम से उक्त संस्थान के निरीक्षणोपरान्त सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अवधी विस्तार किया जा चूका है।

3–विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त डी0पी0 सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, गौतमनगर, शाहपुर, रहुई, नालन्दा का भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप भौतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं अन्य सुविधाएँ पाये जाने के फलस्वरूप ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 100 (एक सौ) सीट पर नामांकन लेने हेतु जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, नालन्दा समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) संस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, नालन्दा तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0-08-146/2023..1634(6)   पटना दिनांक- 20/10/2023

प्रतिलिपिः- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निबंधक, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अध्यक्ष, डी0पी0 सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, गौतमनगर, शाहपुर, रहुई, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/10/2023
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांकः सं0सं0–679 / बी0एन0आर0सी0 / 2021 / .... स्वा0,पटना, दिनांक ....

शांतिदूत ट्रस्ट, 201–आर इन्कलेम, रोड नं0–03 / 331,न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना द्वारा संचालित **डी0पी0सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, गौतमनगर, शाहपुर, रहुई, नालन्दा** के अन्तर्गत **ए0एन0एम, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 (नर्सिंग) एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0नर्सिंग पाठ्यक्रम के** संचालन हेतु **शैक्षणिक वर्ष 2024–25** से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के लिए **विभागीय आदेश ज्ञापांक–2141 / बी0एन0आर0सी0, दिनांक 30.05.2024** के द्वारा **डा0 असीम कुमार दास, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर शैक्षणिक सत्र–**2024–25, 2025–26 एवं 2026–27(ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0नर्सिंग)** के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2–सरकार को यह अधिकार होगा कि संस्थान का निरीक्षण तीन वर्ष के पूर्व भी कराया जा सकेगा।

3–संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से Suitability हेतु आवेदन एक पक्ष के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

4– प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह / 0–
निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकसं0सं0–679 / बी0एन0आर0सी0 / 2021 / 2578 पटना, दिनांक 08/7/24

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, **डी0पी0सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, गौतमनगर, शाहपुर, रहुई, नालन्दा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, स्वा0विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/7/24

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।